न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

क्रमांक : 62/2010

नाथूलाल पुत्र मूलीलाल जाति लुहार निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. रामनारायण पुत्र धन्नलाल जाति गुर्जर निवासी भगवानपुरा की झोपडियां
2. बृजमोहन पुत्र धन्नालाल जाति गुर्जर निवासी भगवानपुरा की झोपडियां
3. रामकुंवार पुत्र धन्नालाल जाति गुर्जर निवासी भगवानपुरा की झोपडियां
4. चौथमल माली पुत्र गोपाल माली जाति माली निवासी भगवानपुरा की झोपडियां
5. रामगोपाल पुत्र छोटू लाल जाति गुर्जर निवासी भगवानपुरा की झोपडियां
6. रामदयाल पुत्र धन्नालाल गुर्जर निवासी भगवानपुरा की झोपडियां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री हरीश राजावत
वकील प्रतिवादीगण : श्री रामस्वरूप नागर
दायरा दिनांक: 19.07.2010 निर्णय दिनांक : 27.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे व स्वामित्व की आराजी खसरा नं0 506 रकबा 2.88 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.11 है0 वाके माल भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। प्रतिवादीगण ने वादी की आरजी के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका रास्ता नाले के पास है। वादी के खाते की आराजी में आने के लिये सरकारी रास्ता है, जो वादी की खाते की आराजी में आकर समाप्त हो जाता है, प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व की आराजी खसरा नं0 506 रकबा 2.88 है0 पूर्वी दिशा की तरफ तथा खसरा नं0 508 रकबा 0.11 है0 से लगवा ही जबरदस्ती ताकत के बल पर रास्ता कायम कर रहे है, जिसका कि उनंको कोई अधिकार हासिल नही है क्योकि खसरा नं0 506 व खसरा नं0 508 के लगवा कोई सरकारी आम रास्त नही है, मात्र ताकत के बल पर रास्ता कायम करना चाहते है, कहने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होते है, इसलिये वादी को आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें। अतः निवेदन है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 506 रकबा 2.88 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.11 है0 से लगवा किसी प्रकार का नया रास्ता कायम नही करें, तथा वादी द्वारा बोयी सोयाबीन की फसल को रास्ते की आड लेकर नष्ट नही करें, ऐसा कार्य स्वयं भी नही करें, तथा न ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

...शय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.07.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया ...गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम ...की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप नागर ने वकालत नामा प्रस्तुत कर निम्नानुसार जवाब दावा ...किया:–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 रेकार्ड से संबंधित है।

02. वाद पत्र की मद नं0 2 गलत है और अस्वीकार है।

03. वाद पत्र की मद नं0 3 गलत है और अस्वीकार है।

04. वाद पत्र की मद नं0 4 गलत है और अस्वीकार है।

05. वाद पत्र की मद नं0 5 गलत है और अस्वीकार है।

06. वाद पत्र की मद नं0 6 सर्वथा गलत है और अस्वीकार है।

07. वाद पत्र की मद नं0 7 गलत है और अस्वीकार है।

08. वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है।

विशेष कथन:– राजस्व रेकार्ड के नक्शे के अनुसार खसरा नंबर 506, 507, 508, 510 के लिए रास्ता खसरा नम्बर 527 में से होकर है जो वादी के खाते से पूर्वी और है। यह रास्ता खसरा नम्बर 506 एवं 507 के दक्षिण में तथा खसरा नंम्बर 510 के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार वादी द्वारा चाहे गये खसरा नंबर 508 के लिए रास्ता उसकी पूर्वी मेड पर होकर सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 527 से है। इस रास्ते को पटवारी हल्का ने वादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28.09.2010 को खुलासा करवाया है। यह रास्ता सरकारी है। तथा इसका उपयोग प्रार्थी/वादी व प्रतिवादीगण साधिकार करते चले आ रहे है। हल्का पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट है कि यह रास्ता 100 वर्ष से चला आ रहा है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावें व आदेशित किया जावे कि वह सरकारी गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 527 में से होकर अपने खेता पर जाने वाला रास्ता में किसी प्रकार की मदालखत न करें। पत्रावली में दिनांक 27.12.2018 को बहस फाईनल उभयपक्षीय सुनी गयी। वाद पत्र में अंकित कथनो को वकील वादी एवं जवाब दावा के कथनो को प्रतिवादी वकील ने बहस में दोहराया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी ग्राम बोहत में खसरा नं0 506 रकबा 2.88 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.11 है0 से लगवा प्रतिवादी कम 1 व 2 किसी प्रकार का नया रास्ता कायम नही एवं वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। चूकि वादी आराजी ग्राम बोहत में खसरा नं0 506 रकबा 2.88 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.11 है0 का रेकार्डेड खातेदार है अतः मुताबिक वाद पत्र वादी, जवाब प्रतिवादी, संलग्न

एवं बहस उभयपक्ष के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की ग्राम बोहत में खसरा नं0 506 रकबा 2.88 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.11 है0 से लगवा किसी का नया रास्ता कायम नही करें एवं वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन